

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 90/प्र0अ0-भवन/जोन-1/2010-11 दिनांक 01/01/2012

अनुमति-पत्र (Provisional)

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है। यह अनुमति उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित प्रेक्षा-गृह मानचित्र की अनन्तिम स्वीकृति दी जा रही है, से किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

सचिव, इलाहाबाद मेडिकल एसोसियेशन स्थल नजूल फ्री होल्ड मुखण्ड संख्या-1/1 कस्तूरबा गाँधी मार्ग इलाहाबाद एवं पार्ट आफ फ्री होल्ड मुखण्ड संख्या-146/1 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित प्रेक्षा-गृह मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. भवन निर्माण पूर्ण होने पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
5. स्थल पर 16 वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखा जाना अपेक्षित है।
6. स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर स्ट्रक्चरल रोफ्टी सर्टिफिकेट I.S.Code 2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के पृष्ठ संख्या-137 के कम में वर्षवार देना होगा तथा स्ट्रक्चरल ड्राइंग व डिजाईन भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति जिसका पृष्ठांकन संस्था को भी है में अंकित मुख्य बिन्दुओं जो निम्नवत् है का अनुपालन करना होगा :-
 - भवन के टेरिस पर 10,000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक बनाया जाना आवश्यक होगा।
 - भवन प्रत्येक तल पर फॉयर एक्सटिंग्यूशर I.S.I मार्क मानक के अनुसार स्थापित करना अनिवार्य होगा।
 - भवन के टेरिस तक अण्डर ग्राउन्ड वाटर टैंक से बेटराइजर की व्यवस्था की जाएगी।
 - भवन के प्रत्येक तल पर होज रील मानक के अनुसार स्थापित करना आवश्यक होगा।
 - भवन के चारों तरफ यार्ड हाइड्रेंट लगाया जाना आवश्यक होगा।
 - भवन में इनटायर आटोमेटिक स्प्रिंगकलर सारटम स्थापित करना आवश्यक होगा।
 - भवन में मैनुअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फॉयर एलार्म सिस्टम स्थापित करना आवश्यक होगा।
 - भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम स्थापित करना आवश्यक होगा।
 - भवन में अन्धरघातण्ड स्टेटिक वॉटर रटोरेज टैंक क्षमता 50 हजार लीटर स्थापित करना आवश्यक होगा।
 - भवन में एक इलेक्ट्रिक एवं एक डीजल पम्प क्षमता 2,280 l/min तथा एक इलेक्ट्रिक पम्प क्षमता-190 l/min स्थापित करना आवश्यक होगा।

Continued

8. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति में अंकित प्रतिबन्ध "निर्माण के दौरान नगर निगम की किसी भी अवस्थापना सुविधा की क्षति होती है तो उसका निर्माण एवं मरम्मत आवेदक द्वारा कराया जायेगा"।
9. मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति पत्र दिनांक 05.12.2011 में अंकित मुख्य बिन्दुओं जो निम्नवत् हैं का अनुपालन करना होगा :-
 - भवन के निर्माण के समय निर्माण सामग्री मार्ग के किनारे न रखा जाय तथा भवन निर्माण के फलस्वरूप यातायात प्रवाहित नहीं होना चाहिए।
 - प्रेक्षा गृह का जल-गल निकारी मार्ग की तरफ न किया जाय।
 - प्रेक्षा गृह का निर्माण मानचित्र में दर्शित रोड वाइडनिंग एरिया 3.30 मीटर एवं फ्रन्ट सेट बैक 6.00 मीटर छोड़कर ही किया जाय।
10. स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
11. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व विद्युत विभाग से सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
12. स्थल का उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जाना आवश्यक होगा।
13. यह अनुमति पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि अतिरिक्त इकाईयों का निर्माण किया जाता है अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्रा0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
14. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा। Conditions से Material/Substantial विचलन की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा इस आधार पर की गयी समस्त कार्यवाहियाँ अकृत एवं शून्य समझी जायेगी।
15. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हों) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
16. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंग्लिशन इलेक्ट्रिसिटी रूलस 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
17. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
18. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(सीमा सिंह)

संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।





FROM SUBDIVISION PLAN OF ALTOURNA
 & REHABILITATION CENTER, AT PART OF
 IN PARTS OF GARDEN MANSION WITH
 ROAD, ALTOURNA, DISTRICT OF PUNJAB
 ALTOURNA
 ARCHITECTS & ENGINEERS: SINGH & PARTNERS
 ALTOURNA
 STRUCTURAL DETAILS
 FOUNDATION PLAN, ROOF PLAN, DETAIL OF
 RCC COLUMN, BEAMS, SLAB AND TYPICAL
 DETAILS
 20/20/21
 ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS
 DRAWING IS TO BE REPRODUCED OR
 TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY
 MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL,
 INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING,
 OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND
 RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT THE
 WRITTEN PERMISSION OF THE
 ARCHITECTS & ENGINEERS.

SCHEDULE OF RCC BEAMS

NO.	DESCRIPTION	SECTION	LENGTH	QUANTITY	REMARKS
1	Beam 1	120x200	10.00	1	
2	Beam 2	120x200	8.00	1	
3	Beam 3	120x200	12.00	1	
4	Beam 4	120x200	15.00	1	
5	Beam 5	120x200	18.00	1	
6	Beam 6	120x200	20.00	1	
7	Beam 7	120x200	22.00	1	
8	Beam 8	120x200	25.00	1	
9	Beam 9	120x200	28.00	1	
10	Beam 10	120x200	30.00	1	

SCHEDULE OF RCC SLABS

NO.	DESCRIPTION	SECTION	AREA	QUANTITY	REMARKS
1	Slab 1	120x200	100.00	1	
2	Slab 2	120x200	150.00	1	
3	Slab 3	120x200	200.00	1	
4	Slab 4	120x200	250.00	1	
5	Slab 5	120x200	300.00	1	
6	Slab 6	120x200	350.00	1	
7	Slab 7	120x200	400.00	1	
8	Slab 8	120x200	450.00	1	
9	Slab 9	120x200	500.00	1	
10	Slab 10	120x200	550.00	1	



REINFORCEMENT DETAIL OF COLUMN

NO.	SECTION	REINFORCEMENT	REMARKS
01	M-25	4E12	
02	M-25	4E12	
03	M-25	4E12	
04	M-25	4E12	

REINFORCEMENT DETAIL OF COLUMN

NO.	SECTION	REINFORCEMENT	REMARKS
01	M-25	4E12	
02	M-25	4E12	
03	M-25	4E12	
04	M-25	4E12	

SCHEDULE OF RCC SLABS


NO.	DESCRIPTION	SECTION	AREA	QUANTITY	REMARKS
1	Slab 1	120x200	100.00	1	
2	Slab 2	120x200	150.00	1	
3	Slab 3	120x200	200.00	1	
4	Slab 4	120x200	250.00	1	
5	Slab 5	120x200	300.00	1	
6	Slab 6	120x200	350.00	1	
7	Slab 7	120x200	400.00	1	
8	Slab 8	120x200	450.00	1	
9	Slab 9	120x200	500.00	1	
10	Slab 10	120x200	550.00	1	

PROPOSED BUILDING PLANS OF ADDITION
 A REHABILITATION CENTER AT PARK OF
 KASTELNYA GARDEN MALDEN
 ROAD, CAMBRIDGE PORT OF GREAT
 BRITAIN
 PROJECT NO. 1000
 ARCHITECTS: JAMES W. HARRIS & ASSOCIATES
 ARCHITECTS
 1000 PARK DRIVE
 CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
 SCALE: AS SHOWN
 DATE: 07-20-70
 SHEET NO. 24

FRONT ELEVATION Scale: 1:100



SECTION AT AA Scale: 1:100




SECOND FLOOR PLAN (BLOCK-B) Scale: 1:100

FIRST FLOOR PLAN (BLOCK-B) Scale: 1:100

GROUND FLOOR PLAN (BLOCK-B) Scale: 1:100







SHUTTLE PARKING (BLOCK-B) Scale: 1:100



APPROVED FOR THE CITY OF CAMBRIDGE
 JULY 20, 1970
 CITY ENGINEER
 JAMES W. HARRIS & ASSOCIATES
 ARCHITECTS

TERACE LEVEL - 4000
 SECOND FLOOR LEVEL - 3150
 THIRD FLOOR LEVEL - 4000
 PLANT ROOM
 MAIN FLOOR LEVEL - (0.250)

DATE: 07-08-2010
 DRAWN BY: [Signature]
 CHECKED BY: [Signature]



PROPOSED BUILDING PLAN OF AUDITORIUM & REHABILITATION CENTRE AT PART OF V.I. KASTURBA GANDHI MARG (KLUTCHERY ROAD), ALI AHABAD & PART OF FRIEHOLD ALI AHABAD.

MAIN AUDITORIUM BUILDING (BLOCK-A)

ALL FLOOR PLANS, ELEVATIONS, SECTIONS, SITE PLAN, STAIRCASE ETC

ARCHITECTS & ENGINEERS
 ANKAAT
 137/FIC STABLE ROAD
 ALI AHABAD - 11001 (U.P.) PHONE NO. 9539-232955

OWNER: ALLAHABAD MEDICAL ASSOCIATION, ALLAHABAD

DRN No. (AS SHOWN) 24
 Date: 07-08-2010
 Street No. 24
 Rev No.

AREA STATEMENT

BUILDING	TOTAL
BLOCK A	1591.54 sqm
BLOCK B	278.00 sqm
STAIRCASE	1225.07 sqm
PLAN AREA	2894.61 sqm
PLANT ROOM	81.24 sqm
STAIRCASE	2894.37 sqm

SCHEDULE OF DOOR & WINDOW

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ.M)	PERCENTAGE
D1	2.30x1.0	2.30	0.08
D2	2.00x1.0	2.00	0.07
D3	1.80x1.0	1.80	0.06
D4	1.50x1.0	1.50	0.05
D5	1.20x1.0	1.20	0.04
D6	1.00x1.0	1.00	0.03
D7	0.80x1.0	0.80	0.02
D8	0.60x1.0	0.60	0.02
D9	0.50x1.0	0.50	0.01
D10	0.40x1.0	0.40	0.01
D11	0.30x1.0	0.30	0.01
D12	0.20x1.0	0.20	0.00
D13	0.10x1.0	0.10	0.00
D14	0.00x1.0	0.00	0.00
D15	0.00x1.0	0.00	0.00
D16	0.00x1.0	0.00	0.00
D17	0.00x1.0	0.00	0.00
D18	0.00x1.0	0.00	0.00
D19	0.00x1.0	0.00	0.00
D20	0.00x1.0	0.00	0.00
D21	0.00x1.0	0.00	0.00
D22	0.00x1.0	0.00	0.00
D23	0.00x1.0	0.00	0.00
D24	0.00x1.0	0.00	0.00
D25	0.00x1.0	0.00	0.00
D26	0.00x1.0	0.00	0.00
D27	0.00x1.0	0.00	0.00
D28	0.00x1.0	0.00	0.00
D29	0.00x1.0	0.00	0.00
D30	0.00x1.0	0.00	0.00
D31	0.00x1.0	0.00	0.00
D32	0.00x1.0	0.00	0.00
D33	0.00x1.0	0.00	0.00
D34	0.00x1.0	0.00	0.00
D35	0.00x1.0	0.00	0.00
D36	0.00x1.0	0.00	0.00
D37	0.00x1.0	0.00	0.00
D38	0.00x1.0	0.00	0.00
D39	0.00x1.0	0.00	0.00
D40	0.00x1.0	0.00	0.00
D41	0.00x1.0	0.00	0.00
D42	0.00x1.0	0.00	0.00
D43	0.00x1.0	0.00	0.00
D44	0.00x1.0	0.00	0.00
D45	0.00x1.0	0.00	0.00
D46	0.00x1.0	0.00	0.00
D47	0.00x1.0	0.00	0.00
D48	0.00x1.0	0.00	0.00
D49	0.00x1.0	0.00	0.00
D50	0.00x1.0	0.00	0.00
D51	0.00x1.0	0.00	0.00
D52	0.00x1.0	0.00	0.00
D53	0.00x1.0	0.00	0.00
D54	0.00x1.0	0.00	0.00
D55	0.00x1.0	0.00	0.00
D56	0.00x1.0	0.00	0.00
D57	0.00x1.0	0.00	0.00
D58	0.00x1.0	0.00	0.00
D59	0.00x1.0	0.00	0.00
D60	0.00x1.0	0.00	0.00
D61	0.00x1.0	0.00	0.00
D62	0.00x1.0	0.00	0.00
D63	0.00x1.0	0.00	0.00
D64	0.00x1.0	0.00	0.00
D65	0.00x1.0	0.00	0.00
D66	0.00x1.0	0.00	0.00
D67	0.00x1.0	0.00	0.00
D68	0.00x1.0	0.00	0.00
D69	0.00x1.0	0.00	0.00
D70	0.00x1.0	0.00	0.00
D71	0.00x1.0	0.00	0.00
D72	0.00x1.0	0.00	0.00
D73	0.00x1.0	0.00	0.00
D74	0.00x1.0	0.00	0.00
D75	0.00x1.0	0.00	0.00
D76	0.00x1.0	0.00	0.00
D77	0.00x1.0	0.00	0.00
D78	0.00x1.0	0.00	0.00
D79	0.00x1.0	0.00	0.00
D80	0.00x1.0	0.00	0.00
D81	0.00x1.0	0.00	0.00
D82	0.00x1.0	0.00	0.00
D83	0.00x1.0	0.00	0.00
D84	0.00x1.0	0.00	0.00
D85	0.00x1.0	0.00	0.00
D86	0.00x1.0	0.00	0.00
D87	0.00x1.0	0.00	0.00
D88	0.00x1.0	0.00	0.00
D89	0.00x1.0	0.00	0.00
D90	0.00x1.0	0.00	0.00
D91	0.00x1.0	0.00	0.00
D92	0.00x1.0	0.00	0.00
D93	0.00x1.0	0.00	0.00
D94	0.00x1.0	0.00	0.00
D95	0.00x1.0	0.00	0.00
D96	0.00x1.0	0.00	0.00
D97	0.00x1.0	0.00	0.00
D98	0.00x1.0	0.00	0.00
D99	0.00x1.0	0.00	0.00
D100	0.00x1.0	0.00	0.00



NOTES: 1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 2. THE FOUNDATION SHALL BE AS PER APPROVED DRAWINGS. 3. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED WITH R.C.C. FRAME WORK. 4. THE ROOF SHALL BE AS PER APPROVED DRAWINGS. 5. THE WALLS SHALL BE WITH RED BRICKS WITH CEMENT MORTAR PLASTER ON BOTH SIDES. 6. THE FLOORS SHALL BE WITH 100MM CONC. SLAB WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 7. THE STAIRS SHALL BE WITH 150MM CONC. STAIR SLAB WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 8. THE DOORS SHALL BE WITH 100MM CONC. DOOR THRESHOLD WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 9. THE WINDOWS SHALL BE WITH 100MM CONC. WINDOW SILL WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 10. THE FINISHES SHALL BE AS PER APPROVED DRAWINGS. 11. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED WITH R.C.C. FRAME WORK. 12. THE ROOF SHALL BE AS PER APPROVED DRAWINGS. 13. THE WALLS SHALL BE WITH RED BRICKS WITH CEMENT MORTAR PLASTER ON BOTH SIDES. 14. THE FLOORS SHALL BE WITH 100MM CONC. SLAB WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 15. THE STAIRS SHALL BE WITH 150MM CONC. STAIR SLAB WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 16. THE DOORS SHALL BE WITH 100MM CONC. DOOR THRESHOLD WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 17. THE WINDOWS SHALL BE WITH 100MM CONC. WINDOW SILL WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 18. THE FINISHES SHALL BE AS PER APPROVED DRAWINGS. 19. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED WITH R.C.C. FRAME WORK. 20. THE ROOF SHALL BE AS PER APPROVED DRAWINGS. 21. THE WALLS SHALL BE WITH RED BRICKS WITH CEMENT MORTAR PLASTER ON BOTH SIDES. 22. THE FLOORS SHALL BE WITH 100MM CONC. SLAB WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 23. THE STAIRS SHALL BE WITH 150MM CONC. STAIR SLAB WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 24. THE DOORS SHALL BE WITH 100MM CONC. DOOR THRESHOLD WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 25. THE WINDOWS SHALL BE WITH 100MM CONC. WINDOW SILL WITH 12MM REBAR @ 150MM C/C. 26. THE FINISHES SHALL BE AS PER APPROVED DRAWINGS.